

प्रमाण,

अधिकांश वन्य पुष्प,
वन्य प्राणी,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

लेखा नं.

प्रमाण, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग नं-2, सहाय्य पुष्प,
प्रति शिक्षा, नई दिल्ली ।

विभाग 171 अनुमान

संख्या: दिनांक: 03 मार्च 2001

विषय:- जीव वन्य प्राणीय पुष्पों को जीव प्राणीय रीति, हस्तों को जीव प्राणीय रीति, नई दिल्ली में संकलित हेतु अनुमानित प्रमाण का दिवाजना ।

नोटिस,

उपरोक्त विषय पर जो यह जोर का निर्देश प्राप्त है कि जीव वन्य प्राणीय पुष्पों को जीव प्राणीय रीति, हस्तों को जीव प्राणीय रीति, नई दिल्ली में संकलित हेतु अनुमानित प्रमाण का दिवाजना में जो राज्य सरकार को विनियमित प्रमाणों के अधीन अनुमानित नहीं है :-

- 1- विभाग की प्रेषित सूचनाओं का समय-समय पर कीर्तन करना जारी रखना ।
- 2- विभाग की प्रेषित सूचना में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा
- 3- विभाग में जो है जो 10 प्रेषित सूचना अनुमानित बाकि/अनुमानित अनुमानित है बाकिों के लिए सुरक्षा रखने और उन्को उन्को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संकलित विभागों में विभिन्न व्यक्तों के लिए निर्धारित सूचना है अधिक सूचना नहीं लिया जायेगा ।
- 4- सूचना द्वारा राज्य सरकार ने जो अनुमान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा देवित शिक्षा परिषद ने मांगता प्राप्त है तो विभाग की संकलित हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली में प्राप्त होती है तो जो वरीयता का है उन्को हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की संकलित प्राप्त होती है तो विभाग में उन्को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त मांगता तथा राज्य सरकार ने प्राप्त अनुमान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 5- सूचना अधिक नई विनियमित सूचनाओं को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभाग सूचनाओं के निर्धारित को अनुमानित विभागों तथा उन्को नती है जो विभाग तथा उन्को अन्को नहीं दिवाजना ।

- 161 कर्मचारियों को सेवा की कार्यवाही और उन्हें सहायता प्रदान
आवश्यक उपाय विचारों के कर्मचारियों के अनुमति सेवा निवृत्ति
का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निकाले जायेंगे
संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 उक्त कर्तों में राज्य सरकार के पूर्वाग्रहों के बिना कोई परिणति/संशोधन
या परिणति नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिवेदों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और
यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवेदों का पालन
नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी भी प्रकार की झूठ या भ्रम-
कात करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अनापत्ति प्रमाण वगै-
राएष से किया जायेगा ।

सहायक,

। अधिकारी पद, गुवा ।
अनु सचिव ।

पुणे-1077111/15-7-2001-अनुविनय

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुवार्ध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यम श्रेणी शिक्षा निदेश, लखनऊ ।
- 3- शिक्षा विभाग निदेश, लखनऊ ।
- 4- अंश भारतीय विभाग, अ.प्र., लखनऊ ।
- 5- मुख्य शिक्षा पद, विभाग एडर कनिष्ठ सचिवी रीट, लखनऊ ।
- 6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा है,

। अधिकारी पद, गुवा ।
अनु सचिव ।